

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 04 / 2013

दायर दिनांक 19.02.2013

| | | |
|-------|---------------|------------|
| सरकार | उनवान बनाम | सत्यनारायण |
|-------|---------------|------------|

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट0

निर्णय दिनांक: 03.12.2024

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई | प्रार्थी पेटोकार सरकार हाजिर नहीं। बार-बार आवाज लगाई गई हाजिर नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में दर्ज के पश्चात् पुनः गैर-कृषि के रूप में उपयोग किये जाने हेतु कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। प्रार्थी पेटोकार सरकार अप्रार्थी द्वारा पुनः गैर कृषि के रूप में आराजी का उपयोग करता है तो पुनः नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सरेइजलास सुनाया गया।



(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन